

177

संख्या- 651/2015/1508/69-1-2015-30(म0ब0-83)/2014

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,

निदेशक,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-324/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 01 मई, 2015 व संख्या-927/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 09 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में प्राविधानित धनराशि से जनपद-बस्ती की न0पा0प0, बस्ती की 11 परियोजनाओं एवं जनपद-सिद्धार्थनगर की न0पा0प0, सिद्धार्थनगर की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण व अन्य सामान्य कार्यों से सम्बन्धित कुल 13 परियोजनाओं हेतु रू0 417.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 208.705 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-213/26-ब0प्र0-2014-30(म0ब0-83)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से जनपद-बस्ती की न0पा0प0, बस्ती की 06 परियोजनाओं एवं जनपद सिद्धार्थनगर की न0पा0प0, सिद्धार्थनगर की 02 परियोजनाओं अर्थात् कुल 08 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 124.645 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख चौंसठ हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रो. श्री/प्रो. अटुल

8

10/7/15



3. उक्त धनराशि समेत द्वारा इस वास्तविक निर्धारित धन/प्रायोजना के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुसार उपलब्धता अनुसार निर्मित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत धन/प्रायोजना के लिए विशेषाधिकार, सनक व बुपावत्ता आदि को सुनिश्चित करवा कर कार्य होगा। इन धन/प्रायोजना के लिए कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा धन/प्रायोजना के सम्बन्धित स्थानीय निकायों का भिन्न मदे
4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित ड्डा (निर्माण इकाई) का उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित ड्डा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक वर्ष में उनी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित ड्डा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनी को गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दिरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/ड्डा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्राप्ति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के मापन उसी की धनराशि अहर्षित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक धर्य हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनाबद्धगत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की भूखण्ड बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या 651 /2015/1508(1)/69-1-2015 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नथिडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बस्ती/सिद्धार्थनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।



क्र. सं.	वार्ड का नाम	विकास नंबर प्रकल्प का नाम	वार्ड/घाट का नाम	परियोजना की कुल लागत	दिलीप/अ. सं. के लिए स्वीकृति राशि धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं०-०३, नरहोया में श्री इन्द्रजित सिंह के मकान से पाइपले स्थान होते हुए गन्दा नाला तक नाला निर्माण कार्य।	33.37	16.635
2	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-०५, मो० पाण्डेय बाजार में श्री राम प्रकाश पूर्व विधायक के मकान से श्री चन्द्र भाटिया के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	25.84	12.92
3	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-११, मो० रौतापार में मालवीय रोड से एस०एन० सिंह के मकान तक व जानकी मिश्रा के मकान से विनीता पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	29.87	14.935
4	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-११, मो० रौतापार में श्री हनुमान प्रसाद के मकान से श्री अंकुरम यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.02	15.01
5	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-१९, मो० बेलवाडाड़ी मिल्लतनगर में डा० निहाल के मकान से रेहना खानून, मिस्त्राहुल इक्क के मकान होते हुए कविस्तान मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	37.98	18.99
6	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-११, मो० रौतापार में श्री बी०के० लाल श्रीवास्तव के मकान से शिवनारायण चौधरी के मकान हेतु अम्बेडकर पार्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.91	10.455
7	सिद्धार्थनगर	न०पा०प०, सिद्धार्थनगर	विजय नगर में मछली मण्डी से राम लखन के मकान होते हुए काली मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व डक्कन का निर्माण कार्य।	33.68	16.84
8	तदैव	तदैव	शिवाजी नगर में श्री ध्रुव के घर के सामने श्री परशुराम यादव के मकान होते हुए दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व डक्कन का निर्माण कार्य।	37.62	18.81
योग				249.29	124.645

(रुपये एक करोड़ चौबीस लाख चौंसठ हजार पांच सौ मात्र)

  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

④